दशरथ उर्फ़ जोलो और अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

जनवरी 23, 2018

[न्यायमूर्तिगण आर 0 के0 अग्रवाल और आर 0 भानुमती]

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 सपठित धारा 149 –हत्या – विधिविरुद्ध जमाव – तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ताओं द्वारा तीन व्यक्तियों की मृत्यु और दो को घायल किया गया – अपीलकर्ताओं को घातक हथियारों से लैस विधिविरुद्ध जमाव बनाने का दोषी पाया गया, जिसका उद्देश्य तीन की हत्या करना और पी.डब्ल्यू. 19 की हत्या का प्रयास करना था – धारा 302 सपठित धारा 149 के तहत दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा के साथ–साथ अन्य अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया जाता है – उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा – अपील पर, निर्णय : विचारण न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालय दोनों ने पी.डब्ल्यू. –19, घायल प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य को स्वीकार किया, जिसके साक्ष्य उच्च स्तर पर हैं – अपीलकर्ताओं के पास से हथियार भी बरामद किए गए थे – परिस्थितियों और पूरी घटना को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता पक्ष हमलावर था और अपीलकर्ताओं ने आत्मरक्षा किया – यह दलील कि अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक अपीलकर्ताओं के व्यक्ति पर चोटों की व्याख्या करने में अभियोजन पक्ष की विफलता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है – इसे कानून के मामले या निरपवाद रूप से एक नियम के रूप में नहीं माना जा सकता है कि जब भी आरोपी को उसी घटना में चोट लगती है, तो अभियोजन पक्ष चोट की व्याख्या करने के लिए बाध्य है और ऐसा करने में अभियोजन पक्ष की विफलता पर, अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास किया जाना चाहिए – इसके अलावा, अपीलकर्ताओं को आई चोटें प्रकृति में सरल थीं और डॉक्टरों से जवाब मिले कि आरोपी पर पाई गई चोटें स्वयं कारित की हुयी हो सकती हैं – इस प्रकार, सबूतों की सराहना और सुविचारित तर्कों के आधार पर, नीचे दी गई अदालतों ने अपीलकर्ताओं को सही तरीके से दोषी ठहराया – साक्ष्य।

ताखाजी हीराजी बनाम ठाकोर कुबेरसिंग चमनसिंग (2001) 6 एससीसी 145 – **संदर्भित।**

संदर्भित न्याय विधि

(2001) 6 एससीसी 145 संदर्भित पैरा 9

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 197–198 वर्ष 2018.

आपराधिक अपील संख्या 598 एवं 599 वर्ष 2009 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के दिनांक 13.05.2014 के निर्णय एवं आदेश आदेश से।

सुश्री संगीता कुमार, अपीलकर्ताओं के लिए वकील।

सुश्री बांसुरी स्वराज, अतुल झा, संदीप झा, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, प्रतिवादी के वकील।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया, द्वारा–

आर. बानुमति, न्यायमूर्ति. 1. अनुमति दी गई।

2. ये अपीलें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2014 को पारित फैसले से उत्पन्न होती हैं, जिसमें आपराधिक अपील संख्या 598–99/2009 को खारिज कर दिया गया था, जिससे विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि होती है।

3. अभियोजन पक्ष का संक्षेप में बताया गया मामला यह है कि, 03.08.2008 को लगभग 1.30 पी.एम. बजे, पी.डब्ल्यू.–19–बिरिचराम अपने बच्चे के जन्म के छठे दिन (छठी) के लिए आमंत्रित करने के लिए भोजराम के घर गया। भोजराम के पड़ोसी और उनके घरों के सामने खड़े अपीलकर्ताओं ने पी.डब्ल्यू.–19 को धमकी दी कि वे उसे मार देंगे। जब पी.डब्ल्यू.–19 ने अपीलकर्ताओं को गाली न देने के लिए कहा, तो अपीलकर्ता दशरथ @ जोलो ने फोडोल @ दुर्योधन (अब मृत) के साथ कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और एक जगरू (अब मृत) जो कुदारी पकड़े हुए था और कुछ अन्य जो लाठी पकड़े हुए थे, ने पी.डब्ल्यू. –19 पर हमला किया। मौके की ओर आ रहे पी.डब्ल्यू.–14–चुम्बई और पी.डब्ल्यू.–17–गायत्री बाई ने घटना में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। उसी समय, मृतक छेदीलाल जो अपने खेत की ओर भी आ रहा था, ने अपीलकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे पी.डब्ल्यू. –19 को न मारें; लेकिन पी.डब्ल्यू. –19 को छोड़कर अपीलकर्ताओं ने छेदीलाल पर हमला करना शुरू कर दिया। फोडोल @ दुर्योधन (अब मृत) ने छेदीलाल के सिर को कुल्हाड़ी के कुंद हिस्से से कुचल दिया। उसी समय मृतक भुरू @ परमानंद, मृतक बबलू, पी.डब्ल्यू.–20–दिलीप कुमार यादव और पी.डब्ल्यू.–21–राजेश यादव भी एक–एक कर के मौके पर आए और बीच–बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अपीलकर्ताओं ने उन सभी के साथ मारपीट की और छेदीलाल, बबलू और भुरू @परमानंद की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पी.डब्ल्यू.–19–बिरिचराम और पी.डब्ल्यू.–20–दिलीप कुमार यादव घायल हो गए।

4. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बयान के आधार पर, अपीलकर्ता दशरथ @ जोलो और; जगरू @ मोहनलाल से कुदारी बरामद; अपीलकर्ताओं आनंद और लक्ष्मी के पास से लाठी बरामद की गई। आरोपियों के पास से खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए हैं। इसके बाद, जब्त की गई सभी वस्तुओं को रासायनिक जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजा गया और एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी –71) द्वारा कपड़ों और हथियारों पर खून की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। जांच पूरी होने के बाद, अपीलकर्ताओं और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

5. आरोपी का दोष साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों को परीक्षित कराया है। विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष के एक गवाह डीडब्ल्यू–1– डॉ. आशुतोष मिश्रा का परीक्षण किया। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को घातक हथियारों से लैस विधिविरुद्ध जमाव बनाने, चेदीलाल, बबलू और भूरू की हत्या करने और बिरिचराम की हत्या करने के प्रयास का दोषी पाया और सभी आठ आरोपियों को भा.दं.सं. की धारा 302 सपठित धारा 149 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्हें अन्य अपराधों के लिए भी दोषी ठहराया गया था और कारावास की सजा सुनाई गई थी।

6. व्यथित होकर सभी अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान आरोपी फोडोल @ दुर्योधन और मोहल लाल की मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं (दशरथ @ जोलो, आनंद और लक्ष्मी) द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय द्वारा उन पर लगाए गए कारावास की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। महिला आरोपियों दुजमती और त्रिवेणी बाई को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था।

7. पी.डब्ल्यू.–19 ने घटना के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले अपीलकर्ता दशरथ @ जोलो ने कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी, मृतक आरोपी जगरू ने कुदारी पकड़ी हुई थी और अन्य आरोपी व्यक्ति भी लाठी से लैस थे जो मृतक व्यक्तियों को चोट पहुंचा रहे थे। विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय दोनों ने पी.डब्ल्यू. –19 के साक्ष्य को स्वीकार किया है, जो एक घायल प्रत्यक्षदर्शी है, जिसके साक्ष्य उच्च स्तर के हैं। यहां अपीलकर्ताओं के पास से हथियार भी बरामद किए गए। घायल प्रत्यक्षदर्शी पी.डब्ल्यू.–19 की सराहना पर, जिसकी पुष्टि पी.डब्ल्यू.–14 (चुम्बई) द्वारा की गई थी और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यहां अपीलकर्ताओं से हथियार बरामद किए गए थे, विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज किया कि अपीलकर्ताओं और मृतक जगरू और अन्य सहित अन्य आरोपियों ने छेदीलाल बबलू और भुरू @ परमानंद की हत्या करने के लिए एक ही उद्देश्य के साथ एक विधिविरुद्ध जमाव बनाई है।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि यह घटना अपीलकर्ताओं के घर के सामने हुई थी, जिससे शिकायतकर्ता और मृतक बच्चे के जन्म के जश्न को दिखाना चाहते थे और आरोपी का कोई भी कार्य केवल उनकी आत्मरक्षा में हो सकता है। केवल इसलिए कि यह घटना अपीलकर्ताओं के घर के सामने हुई, यह नहीं कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता पक्ष हमलावर थे। यह पता लगाने के लिए कि हमलावर कौन थे, पूरी घटना की उचित तरीके में उचित सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए। घायल बिरिचराम (पी.डब्ल्यू.–19) भोजराम के घर बच्चे के छठे दिन के जन्म (छटी) के लिए उसे और अन्य लोगों को आमंत्रित करने के लिए गया था; भोजराम के पड़ोसी अपीलकर्ता उनके घरों के सामने मौजूद थे और उन्होंने बिरिचराम (पी.डब्ल्यू. –19) को चुनौती दी। जब बिरिचराम (पी.डब्ल्यू.–19) भोजराम को समारोह के लिए आमंत्रित करने के लिए उसके घर गए, तो वह हथियारों से लैस नहीं था; केवल अपीलकर्ताओं को कुल्हाड़ी और डंडों से लैस बताया गया था। परिस्थितियों और पूरी घटना को ध्यान में रखते हुए, नीचे दी गई अदालतों ने इस तर्क को सही ढंग से खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता पक्ष हमलावर थे और अपीलकर्ताओं ने आत्मरक्षा में काम किया।

9. विद्वान वकील द्वारा आग्रह किया गया अगला तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के व्यक्ति पर चोटों की व्याख्या करने का विकल्प नहीं चुना है और यह अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। इसे कानून के मामले के रूप में या अनिवार्य रूप से एक नियम के रूप में नहीं माना जा सकता है कि जब भी आरोपी को एक ही घटना में चोट लगी हो, तो अभियोजन पक्ष चोट की व्याख्या करने के लिए बाध्य है और ऐसा करने में अभियोजन पक्ष की विफलता पर, अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास किया जाना चाहिए। यह मानने से पहले कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा आरोपी व्यक्तियों के व्यक्तियों पर चोटों का गैर–स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित कर सकता है, अदालत को दो शर्तों के अस्तित्व से संतुष्ट होना होगा:

(i) कि अभियुक्त के व्यक्ति पर लगी चोट गंभीर प्रकृति की थी; और

(ii) कि ऐसी चोटें विचाराधीन घटना के समय लगी होंगी [*ताखाजी हीराजी बनाम ठाकोर कुबेरसिंह चमनसिंग*, (2001) 6 एससीसी 1454]

10. विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय के फैसले को देखने से, यह देखा जाता है कि अपीलकर्ताओं को लगी चोटें प्रकृति में साधारण थीं और इसलिए अभियोजन पक्ष के लिए उन चोटों की व्याख्या करना अनिवार्य नहीं था। चिकित्सकों से मिले जवाबों पर भी ध्यान देना प्रासंगिक है कि आरोपी पर पाई गई चोटें स्वयं हो सकती हैं।

11. सबूतों की सराहना और सुविचारित तर्कों के आधार पर, विचारण न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को धारा 302 भा.दं.सं. सपठित धारा 149 भा.दं.सं. और अन्य अपराधों के तहत दोषी ठहराया। हमें दोषसिद्धि के फैसले और अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को दी गई कारावास की सजा में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। अपीलों को खारिज किया जाता है।

निधि जैन अपील खारिज कर दी गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated and verified by me.

Satyendra Yadav
Advocate
Advocate on Roll : **A/S**0567/2023
Contact No. : 8896551733